भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 जिसका उत्तर शुक्रवार 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाएगा

पोषण सामग्री के बारे में भ्रामक जानकारी

1504 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय द्वारा खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर पोषण सामग्री और स्वास्थ्य लाभों से संबंधित भ्रामक सूचना के प्रकाशन/मुद्रण की परिपाटियों के विरूद्ध क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ख) क्या मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य लाभों के दावे करते हुए वैकल्पिक दवाओं, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों द्वारा अपनाई गई नैतिक विपणन पद्धतियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के आलोक में कदम उठाए गए हैं अथवा कोई कदम उठाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

<u>उत्तर</u> उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य उत्पादों के दावों और विज्ञापनों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए खाद्य व्यवसायों को ऐसे दावों/विज्ञापनों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के विनियम 4 के उप-विनियम 6 के अनुसार, "खाद्य में कुछ विशेष पौषणिक अथवा स्वास्थ्य संबंधी गुणों का दावा किया जाने पर वह दावा उस संघटक अथवा पदार्थ का परिमाण बताने की मान्य पद्धतियों के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाए, जिनके आधार पर यह दावा किया गया हो।" इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के विनियम 5 और 7 क्रमशः पोषक तत्वों और स्वास्थ्य संबंधी दावे करने के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करते हैं, जिससे खाद्य उत्पादों के विज्ञापन में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

कुछ शब्दों या वाक्यांशों (प्राकृतिक, ताज़ा, शुद्ध, मौलिक आदि) के उपयोग के प्रावधान अनुसूची-V के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (एफएसएस अधिनियम, 2006) ने अपराधों और दंडों के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान प्रदान किए हैं, जिसमें एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 53 में भ्रामक विज्ञापनों

के लिए दंड के प्रावधानों को विनिर्दिष्ट किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्लेषण किए गए, गैर-अनुरूप पाये गये प्रवर्तन नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत, किसी भी उत्पाद या सेवा के संबंध में भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो- (i) किसी उत्पाद या सेवा का मिथ्या वर्णन करता है; या (ii) किसी उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को झूठी गारंटी देता है या गुमराह करने की संभावना रखता है; या (iii) एक खास या निहित प्रतिनिधित्व व्यक्त करता है, जो यदि निर्माता या विक्रेता या उसके सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, तो यह एक अनुचित व्यापार प्रथा होगी; या (iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और एक वर्ग के रूप में जनता और उपभोक्ताओं के हित के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए 24.07.2020 से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया है। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करते हैं; (क) किसी विज्ञापन के गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें; (ख) लुभावने विज्ञापनों और मुफ्त दावा विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्तें; और, (ग) विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्य।

(ख): आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के संबंध में लाइसेंस संबंधी प्रावधान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 169 के तहत निर्धारित हैं। यह उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी (एएसयू) औषधियों के संबंध में लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3(क) और (ज) के तहत परिभाषित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 161(2) के अनुसार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची ङ(1) में उल्लिखित सामग्री वाली औषधि को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में "चेतावनी: चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन लिया जाए" शब्दों के साथ लेबल किया जाना चाहिए।

औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाले आयुष औषधियों सहित औषधियों और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों पर रोक लगाने के प्रावधान शामिल हैं और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों को प्रवर्तित करने का अधिकार है।

आयुष मंत्रालय की केंद्रीय योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फार्माकोविजिलेंस केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और संबंधित राज्य नियामक अधिकारियों को रिपोर्ट करने का अधिदेश दिया गया है। एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती फार्माकोविजिलेंस केंद्र (आईपीवीसी) और पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस केंद्र (पीपीवीसी) से निर्मित एक त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की गई है। आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के लिए राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है। आक्षेपणीय विज्ञापनों की सूचना नियमित अंतराल पर पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस केंद्र (पीपीवीसी) द्वारा संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को दी जा रही है।

सीसीपीए ने 14 जुलाई, 2022 को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ङ (1) में सूचीबद्ध सामग्री वाली आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं की बिक्री के संबंध में ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक परामर्शी जारी की है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को सलाह दी गई है कि ऐसी दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा केवल पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे के बाद ही उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड की जाए। बिना चिकित्सकीय देखरेख के ऐसी दवाओं का सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं।

अनुलग्नक 'पोषण सामग्री के बारे में भ्रामक जानकारी' के संबंध में दिनांक 15/12/2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 के उत्तर भाग (क) में उल्लिखित विवरण.

पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्लेषित, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और दंडात्मक कार्रवाई का विवरण

	विश्लेषण किये गये नमूनों की संख्या	अनुरू प पाए	गैर अनुरूपता वाले नमूने			दीवानी मामले			आपराधिक मामले		
ਕਥ			असुरक्षि त	अवमान क	लेबलिंग दोष/भ्रामक/वि विध	आरंभ किये गये माम लों की संख्या	दोषसि द्धि की संख्या	वसू ला गया जुर्मा करो इ रुपए में	आरंभ किये गये माम लों की	दोषिस द्धि की संख्या	वसू ला गया जुर्मा ना (करो रुपए में
2020 -21	1,07,82 9	28,34 7	5,220	13,394	9,733	24,19	14,817	49.9 2	3,869	506	0.83
2021 -22	1,44,34	32,93 4	4,890	16,582	11,462	28,90 6	19,437	53.3 9	4946	671	1.38
2022 -23	1,77,51 1	44,62 6	6,579	21,917	16,130	38,09 6	28,464	33.2	4818	1188	2.75
